मिटीगेटींग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान एमपॉवर
परियोजना का संक्षिप्त विवरण

- राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के छः जिलो मे अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से मिटीगेटींग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान एमपॉवर परियोजना स्वीकृत की गई है। जिससे राज्य के जोधपुर संभाग के बाडमेंर जिले के बायतु, जैसलमेर जिले की सांकडा, जोधपुर जिले की बाप, जालौर जिले की सांचौर, पाली जिले की बाली तथा सिराही जिले की आबू रोड पंचायत समितियों में यह परियोजना लागू की जावेगी। इन पंचायत समितियों में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शत–प्रतिशत बीपीएल परिवार परियोजना के लक्षित समूह होगें। परियोजना की प्रस्तावित अवधि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2014 है। कार्यक्रम में आयोजित विस्तार गतिविधियों एवं सरकार की अन्य योजनाओं से परियोजना क्षेत्र के अन्य परिवार भी लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से 245 ग्राम पंचायतों की 1040 ग्रामों के 88860 परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जावेगा। परियोजना की लागत 415 करोड रूपये है। जिसमें IFAD से 124 करोड रूपयें, राज्य सरकार से 87.50 करोड रूपये, लाभान्वितों का अशंदान रूपये 10.50 करोड, बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में रूपये 180 करोड एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान के रूप में रूपये 13 करोड सम्मिलित है। IFAD भारत सरकार को 30.42 मिलियन डॉलर का ऋण देगा जो 10 वर्ष के मोरेटोरियन पीरियड सहित 40 वर्ष में 0.75 प्रतिशत सेवा शुल्क सहित लौटाना होगा।
- परियोजना का मूल उद्देश्य परियोजना क्षेत्र के गरीबों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना तथा क्षेत्र के निशक्त एवं पिछड़े वर्गों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना है। इस परियोजना के विशिष्ठ उद्देश्य निम्नानुसार हैः–
  - अ. अकाल की सम्भावनाओं को कम करना एवं जल सुरक्षा मुहैया करना।
  - ब. आय में वृद्वि एवं रोजगार सृजन।
  - स. बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादकता में सुधार।
  - द. उत्पादकों की उनके उत्पादनों के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु बाजार तक पहुंच तथा इस हेतु Backward एवं Forward Linkages की स्थापना।
  - य. महिलाओं पिछड़ों एवं निराश्रितजनों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनका सशक्तिकरण करना।
  - र. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग परियोजना से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर, सुनिश्चित करना।
- इस योजनान्तर्गत आजीविका गतिविधियों के साथ–साथ सामुदायिक आधारभूत विकास कार्यो का प्रावधान रखा गया है, जिसका उपयोग सूखे के प्रभाव को कम करने प्रचलित आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता में वृद्वि करने के उदे्श्य से मेंड बंदी, खेत तलाई, मृदा सुधार हेतु गतिविधियां, उधानिकी, कुओं का

निर्माण, चारागाह विकास, चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था हेतु सी.एफ.सी (Common Facility Centre) निर्माण आदि कार्यों हेतु किया जावेगा।

- इस परियोजना की विशिष्ट नवाचार विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

अ. उत्पादक की बाजार तक पहुंच एवं उसके उत्पाद का अच्छा मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।

ब. बाजार की आवश्यकतानुसार नवीन प्रौद्योगिकी एवं बेहतर प्रबन्धकीय व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रेरक राशि भी उपलब्ध करायी जाएगी।

स. स्वयं सहायता समूहों को क्रय–विक्रय समूहों में मार्केटिंग ग्रुपस् विकसित कर उन समूहों को लघु उद्यमी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक सुदृढीकरण में परिवर्तित किया जाएगा।

द. परियोजना के दौरान गांव के सभी वर्गों में समानता के मुद्दों को महत्व दिया जाएगा।

य. परियोजना के संसाधनों से प्रेरक राशि उपलब्ध कराने के साथ–साथ क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली अन्य सरकारी योजनाओं विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के साथ सामंजस्य स्थापित कर उपलब्ध कोष एवं कार्यों को डोवटेल किया जावेगा, जिससे परियोजना संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्वि सम्भव होगी।

परियोजना के घटक **Project Components**

परियोजना के तहत् मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन घटकों के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है–

घटक–1–बुनियादी सामुदायिक संस्थाओं का सशक्तीकरण (Strengthening of Grass root Institutions) – इस घटक में दो उपघटक सम्मिलित किए गए है।

1. लामबन्दी (Mobilization) एवं क्षमता निर्माण

इस उपघटक के तहत लक्षित समूहों में जेण्डर, सामाजिक आर्थिक, वित्तीय एव विकासशीलता सम्मिलित करते हुए समुदाय आधारित संस्थाओं जैसे–स्वयं सहायता समूह, मार्केटिंग समूह, सामुदायिक विकास संस्थाओं तथा ग्राम विकास समितियों आदि में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाया जावेगा। जिससे उनके द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया जा सके। इस घटक के तहत् गैर लक्षित समूहों का भी सहयोग सुनिश्चित करने हेतु उनके द्वारा चिन्हित सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी संस्थाओं के

संसाधनों तथा आवश्यकता पड़ने पर परियोजना से अल्पनिधियों का उपयोग कर की जाएगी। सक्षम एवं ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संस्थाएं लक्षित समूह को लामबन्द करेंगी।

2. सामुदायिक आधारभूत विकास कोष सीआईडीएफ
   इस कोष का उपयोग सूखे अकाल के प्रभाव को कम करने , प्रचलित आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता में वृद्वि करने हेतु किया जावेगा। इसके तहत् किये जाने वाले कार्यं मेड़बन्दी, खेत तलाई निर्माण, मृदा सुधार हेतु गतिविधियां, उद्यानिकी, कुओं का निर्माण, बूंद–बूंद सिंचाई को बढ़ावा, चारागाहों का विकास, पौधारोपण, चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था के लिए सी. एफ. सी (CFC) सुविधाएं इत्यादि हैं।

घटक–2–आजीविका समर्थन– इस घटक को दो उपघटकों में विभाजित किया गया है–

1. आय के स्त्रोतों का सृजन, मार्केटिंग एवं रोजगार सृजन**(Income Generation, Marketing & Employment creation)**
   उपघटक में लक्षित समूहों को आयसृजनात्मक गतिविधियो से लाभान्वित किया जावेगा तथा उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए मार्केटिंग समूह विकसित कर निजी क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित किया जावेगा। गरीब परिवारों के युवावर्ग के लिए स्व्रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जावेगा।

2. विकास हेतु वित्तीय सेवाएं **(The Development Financial Services)**
   इस उपघटक का उपयोग स्वयं सहायता समूहों को स्थापित करने, स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु किया जावेगा।

घटक–3 परियोजना प्रबन्धन **(Project Management)**

- राज्य स्तर पर परियोजना के समन्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग के अधीन परियोजना समन्वयन ईकाई एवं जोधपुर में सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के अधीन परियोजना प्रबन्धन इकाई पीएमयू स्थापित की जावेगी तथा संबंधित सभी छः

जिलों में ब्लॉक स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई डीपीएमयू की स्थापना की जावेगी। कार्यक्रम क्रियान्वयन गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जावेगा।